भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2102
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ना

2102. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए सरकार को कोई सुझाव दिया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;
(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसमें कितना व्यय शामिल है ;
(घ) क्या सरकार ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के मुद्दे पर व्यक्तिगत जानकारी और डाटा चोरी को संरक्षित करने जैसे सभी पहलुओं पर विचार किया है ;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से कब तक जोडे जाने की संभावना है ; और
(च) सरकार द्वारा मतदाताओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली की तैयारी सुनिश्चित करने और प्रविष्टियों के अनुलिपिकरण को रोकने के लिए आधार प्रणाली के साथ निर्वाचक डाटा को जोड़ने में समर्थ बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन करने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है। यह मामला परीक्षाधीन है।

****